

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
384 / 2024

दायर दिनांक
02.07.2024

निर्णय दिनांक
15.07.2024

उनवान

1. नारु पिता हरलाल जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. लादु पिता बद्री जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. सोहनी पत्नि स्व0 हरलाल जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भेरु पिता संग्राम रेबारी आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. भेरु पिता नाथू जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. राधा पत्नि चम्पा लाल जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. कालूलाल पिता लक्ष्मण जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मण पिता भूरा जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. जेतु पत्नि नारु जाट आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. भंवर लाल पिता मांगीलाल माली आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. लटूर पिता माधू रेबारी आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. शंकर पिता कल्ला रेबारी आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. गांटू पिता अन्ना रेबारी आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. मकराम पिता भूरा रेबारी आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. गहरी पत्नि स्व0 अन्ना रेबारी आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. लेहरी पत्नि स्व0 गंगराम माली आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. मांगीलाल पिता रामा माली आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. भगवान पिता नन्दा माली आयु वयस्क निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी मांगीलाल सेन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

Abhad

उपखण्ड आ-...
भीलवाड़ा

—: निर्णय :-


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोमी प0ह0 गुरला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 214 की अभिलिखित आराजियात 454, 463, 580, 625, 853, कुल किता 05 कुल रकबा 2.0231 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मोमी प0ह0 गुरला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 214 की अभिलिखित आराजियात 454, 463, 580, 625, 853, कुल किता 05 कुल रकबा 2.0231 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाये जावे। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आनंद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा